न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या 80/2014/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 29.10.2014
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. सोहन आत्मज देवीराम जाति मीणा निवासी ग्राम कांजरी सीलोर तहसील बूंदी जिला बूंदी।

...अपीलाट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बूंदी।
2 महावीर प्रसाद आत्मज भंवरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम काजरी सीलोर तहसील बूंदी जिला बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अनुराग गुप्ता अभिभाषक अपीलाट
श्री हरिश शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 2.8.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं0 68/अपील/13 बउनवान सोहन बनाम राज0 सरकार आदि अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम मे पारित निर्णय दिनांक 7.10.2.13 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट ने तहसीलदार बूंदी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 471 दिनांक 19.2.2013 ग्राम रघुवीरपुरा से अप्रसन्न होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार सोहन आ0 देवीराम मीणा द्वारा भूमि विक्रय किये जाने से केता महावीर प्रसाद आ0 भंवरलाल मीणा के नाम विक्रय पत्र की अनदेखी कर मनमर्जी तरीके से अपीलांट के सम्पूर्ण हिस्से 1/3 भूमि का तस्दीक किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने निरस्त किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायलय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बूदी के यहां विचाराधीन वाद बजरंगलाल बनाम सोहन का निर्णय होने पर निर्णयानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करने तथा वाद के निर्णय तक पक्षकार भूमि का रहन बय नही करने का दिनांक 7.10.13 को निर्णय पारित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नामा0 सं0 471 निरस्त किये जाने का आदेश सही रूप से पारित किया है परन्तु न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश बूंदी के न्यायालय मे विचाराधीन वाद बजरंगलाल बनाम सोहनलाल का निर्णय होने पर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने संविदा की विशिष्ठ अनुपालना के बाद के निर्णयानुसार कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करने एंव

राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे नोट अंकित किये जाने तथा वाद के निर्णय तक पक्षकार भूमि को रहन बैय नही करने के आदेश से पाबन्द फरमाने मे त्रुटि की है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.10.13 अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया गया जिसकी सूचना अपीलांट के अभिभाषक द्वारा नही दी गई जानकारी करने पर दिनांक 2.6.2014 को अभिभाषक अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश संशोधित किया जावे तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश बूंदी के न्यायालय मे विचाराधीन बाद के निर्णयानुसार नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के संबध मे पारित आदेश एवं रहन, बेचान नही करने के संबध मे पारित आदेश की हद तक प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा नामा0 सं0 471 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया रेस्पो0 क्रम–2 की तामील पूर्ण मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 क्रम–1 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि नामा0 सं0 471 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर हिस्सा 1/3 का रेस्पो0 क्रम–2 महावीर के पक्ष मे परीक्षण न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। विवादित आराजी मे मेरा हिस्सा 1/4 है इसमे से 3 बीघा 15 बिस्वा का बेचान किया गया है जबकि मेरा समस्त खाता समाप्त कर दिया। मुझे नोटिस नही दिया तथा ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया। संविदा की विशिष्ट अनुपालना का दावा सिविल कोर्ट मे विचाराधीन है जिसमे स्टे है। मैने इकरारनामे से बेचान नही किया रजिस्टर्ड सेल डीड से बेचान किया है इसलिये दावे से अन्तंर नही पडेगा। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी जून 2008 पेज 383 व आरआरटी 2018 (1) पेज 610 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–1 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया तथा प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। अतः प्रकरण का गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी द्वारा डिले कन्डोन हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर जानकारी की तिथी 2.6.2014 से अपील अवधि मध्य होना वर्णित किया गया। प्रार्थना पत्र के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो के प्रतिउत्तर खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये है ऐसी स्थिति मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज, रिकार्ड एवं अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी सं0 2066–69 खाता सं0 88 मे अंकित भूमि रकबा 46 बीघा 16 बिस्वा ग्राम रघुवीरपुरा बजरंगा बालू सोहन पिता देवरीराम हिस्सा 3/4 मीरा बेवा मोहन विनोद राजू पिता मोहन रिकूं पुत्री मोहन हिस्सा 1/4 दर्ज है। विक्रय पत्र दिनांक 4.1.13 के अनुसार सोहन ने महावीर को ख0 सं0 52 रकबा 41 बीघा 18 बिस्वा भूमि मे अपने हिस्से 1/4 मे से 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि का बेचान महावीर को किया है जबकि नामा0 1/3 हिस्से का तस्दीक किया गया जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दोषपूर्ण मानते हुये दिनांक 26.6.95 को बजरंगलाल ने सोहन से जरिये बेचान इकरार ख0 सं0 52 की राष्टीय राज मार्ग सं0 12 के सहारे 6 बीघा भूमि क्रय के संबध मे संविदा की विशिष्ट अनुपालना का वाद बजरंगलाल बनाम सोहन जिला एवं सेशन न्यायाधीश बूंदी के यहां विचाराधीन होने से

नामा0 सं0 471 निरस्त कर उक्त वाद के निर्णय होने पर नियमाकनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करने तथा वाद के निर्णय तक पक्षकार भूमि का रहन बय नही करने व उक्तानुसार राजस्व अभिलेखो मे नोट अंकित करने का जेरअपील निर्णय दिनांक 7.10.2013 पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उसने इकरारनामे से बेचान नही किया है रजिस्टर्ड सेल डीड से बेचान किया है इसलिये उक्त वर्णित दावे से अन्तंर नही पडेगा। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे से रहन, बेचान नही करने की हद तक का आदेश निरस्त किया जावे। इस संबध मे हम अधीनस्थ न्यायालय के इस अभिमत से सहमत है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसक्ल कार्यवाही है जिसमे विक्रय पत्र की वैधता की जांच नहीं की जा सकती है। चूंकि विवादित आराजी ख0 सं0 52 की 6 बीघा भूमि के संबध मे संविदा की विशिष्ट अनुपालना का वाद बजरंगलाल बनाम सोहन विचाराधीन है जिसका निर्णय अंतिम होगा। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपीलांट का उक्त तर्क विधिसंगत होना प्रकट नही होता है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय को न्यायोचित पाते है। लिहाजा उक्त तथ्यो के आलोक मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरडी जून 2008 पेज 383 व आरआरटी 2018 (1) पेज 610 प्रश्नगत अपील प्रकरण मे चस्पा नही होते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 2.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा